भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3841
दिनांक 17.03.2020/ 27 फाल्गुन, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

घृणा जनित अपराध

†3841. श्री पी॰के॰ कुन्हालीकुट्टीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुरक्षा एजेंसियों या किन्हीं अन्य सरकारी संगठनों ने अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ देश भर में हो रहे घृणा जनित अपराधों की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाशिए पर धकेले गए वर्गों के खिलाफ घृणा जनित अपराधों को रोकने के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं;

(ग) क्या देश में घृणा जनित अपराधों की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास देश में घृणा जनित अपराधों पर नज़र रखने के लिए कोई तंत्र बनाने की योजना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में किसी अपराध को "घृणा जनित अपराध" के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) "घृणा जनित अपराध" शीर्ष के तहत आंकड़े नहीं रखता है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं। राज्य सरकारें अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से अपराध की रोकथाम करने, उसका पता लगाने और जांच करने तथा अपराधियों को अभियोजित करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय ने क़ानून एवं व्यवस्था बनाये रखने और कानून को अपने हाथ में लेने वालों को क़ानून के अनुसार तत्काल दण्डित करना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्शी पत्र जारी किये हैं, जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

******